संख्या-4/2016/3210/सैंतीस-2-2015-1(59)/02टीसी

प्रेषक,

रणविजय सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र,
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-08 जनवरी, 2016

विषयः- **रिन्डर पेस्ट स्कीम प्रोग्राम (100 प्रति.के.पो.) योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-548/सा0-1/एक्स-120(168)/एनपीआरई-सामान्य/2015-16, दि0-16.10.2015 के संदर्भ में एवं शासनादेश संख्या-55/2015/1930/सैंतीस-2-2015-1(59)/02टीसी, दिनांक-06.08.2015 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-आयोजनागत-101-पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य-02-राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य तथा रोग नियंत्रण कार्यक्रम-0204-रिन्डर पेस्ट स्कीम प्रोग्राम (100 प्रति.के.पो.) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश रू0-15.13 लाख के सापेक्ष निम्नलिखित मानक मदों में प्राविधानित धनराशि में से रू0-15.13 लाख (रूपये पन्द्रह लाख तेरह हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

मानक मद	**धनराशि (हजार में)**
04-यात्रा व्यय	600.00
15-गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	456.50
18-प्रकाशन	56.50
19-विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	100.00
42-अन्य व्यय	300.00
योग-	**1513.00**

(रूपये पन्द्रह लाख तेरह हजार मात्र)

(1) स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय योजनान्तर्गत उपलब्ध परिव्यय की सीमान्तर्गत भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्य योजना के अनुसार अनुमोदित मदों में निर्धारित गाइडलाईन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रांश की सीमा तक ही किया जायेगा।

(2) स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक-30.03.2015 तथा शासनादेश सं0-बी-1-1195/दस-16/94, दि0-06.06.1994 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(3) विज्ञापन, प्रकाशन एवं प्रचार-प्रसार के संबंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं सूचना विभाग के निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(4) स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद में न व्यय किया जाय, जिसके लिए फाइनेन्शियल हैण्डबुक तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। ऐसा व्यय अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाये तथा जिन मदों के लिए धनराशि स्वीकृत है, स्वीकृति की सीमा तक उन्हीं मदों में धनराशि का व्यय किया जाय। इसमें विचलन होने पर वित्त नियँत्रक का यह दायित्व होगा कि इसकी सूचना तुरन्त वित्त विभाग को दें।

(5) वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता संबंधी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित करने के साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

(6) इस शासनादेश में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन विभाग में तैनात/कार्यरत वित्त नियँत्रक/वरिष्ठ/मुख्य लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। निर्धारित शर्तों में विचलन की दशा में वित्त नियँत्रक का दायित्व होगा कि वह मामले की पूर्ण विवरण सहित सूचना तुरन्त वित्त विभाग को उपलब्ध कराये।

2- उक्त योजनान्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त होने वाली केन्द्रीय सहायता की धनराशि राज्य सरकार के प्राप्त लेखाशीर्षक-"1601-केन्द्रीय सरकार के सहायक अनुदान-04-केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं-800-अन्य अनुदान-15-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)" के नामे डाला जायेगा।

3- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में अनुदान सं0-15 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-आयोजनागत-101-पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य-02-राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य तथा रोग नियंत्रण कार्यक्रम-0204-रिन्डर पेस्ट स्कीम प्रोग्राम (के.100/रा.00-के.) की सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक-30.03.2015 में प्रदत्त अधिकारों के अधीन जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(**रणविजय सिंह**)
उप सचिव।

<u>पृ0सं0-4/2016/3210(1)/सैंतीस-2-2015- तद्दिनांक ।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. संयुक्त सचिव, पशुपालन, दुग्ध एवं मत्स्यपालन विभाग, कृषि मँत्रालय, नई दिल्ली।
5. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-2/नियोजन अनु0-3/वित्त संसाधन (केन्द्रीय-सहायता) अनुभाग।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(**रणविजय सिंह**)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in